

मदनलाल बनारस बाबूलाल

क्र.सं.	दिनांक आहवा या कार्यवाही	67/21	आहवा विस्तृत रूप से	
---------	--------------------------	-------	---------------------	--

6/3/24

कावली पेश हुई। जाची व उरके अधिवक्ता उपस्थित नहीं। वक्तमैलवाण जाची व उरके अधिवक्ता को लास्वाट भावाल जगवाड गरी उरकी डोरल कोई भी उपस्थित नहीं होने से जाची का फार्मना फत्र ठाकम हाजरी ठाकम फरवी के श्वारिज किया जाता है। कावली के लिये शुमार होना, दर्ज न होने के मुद्दे काय नकमील शरिफल फरमाते हैं।

सप-खण्ड
 सप-खण्ड



4
5
6
7
8
9
10
11
12